रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062023-246837
CG-DL-E-27062023-246837

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2667]	**नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2023/आषाढ़ 6, 1945**
No. 2667]	**NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2023/ASHADHA 6, 1945**

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 27 जून, 2023

का.आ. 2787(अ).—सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान), नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए आधार अधिप्रमाणन करना अनुज्ञात किया है।

अतः, अब, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किए जाने के बाद, यह निदेशित करता है कि उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार को आधार संख्यांक, जो की जन्म की दशा में बच्चे, माता-पिता और सूचनादाता तथा मृत्यु की दशा में माता-पिता, पति या पत्नी और सूचनादाता की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से यथास्थिति, जन्म या मृत्यु के रिपोर्टिंग प्ररूपों में मांगे गए अन्य ब्यौरों के साथ एकत्र की जा रही है, के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर 'हां' या 'नहीं' आधार अधिप्रमाणन पूरा करना अनुज्ञात किया जाता है।

राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिकथित आधार अधिप्रमाणन के उपयोग से संबन्धित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेंगे।

[फा. सं. 11/4/2020-वीएस (सीआरएस)]

मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 27th June, 2023

S.O. 2787(E).—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Electronics and Information Technology has allowed Office of Registrar General and Census Commissioner, India to perform Aadhaar authentication for registration of births and deaths.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under sub-section (3) of section 3 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), the Registrar General and Census Commissioner, India, Ministry of Home Affairs, having been authorized by the Ministry of Electronics and Information Technology, hereby directs that the Registrar, appointed under sub-section (1) of section 7 of said Act, shall be allowed to perform Yes or No Aadhaar authentication, on voluntary basis, for verification of Aadhaar number being collected along with other details as sought in the reporting forms of births or deaths, as the case may be, for the purpose of establishing the identity of child, parent and the informant in case of births, and of the parent, spouse and the informant in case of deaths during registration of births or deaths.

The State Government and Union territory Administration shall adhere to the guidelines with respect to the use of Aadhaar authentication as laid down by the Ministry of Electronics and Information Technology.

[F. No. 11/4/2020-VS (CRS)]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Registrar General and Census Commissioner, India

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA